



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION
CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।



संख्या: 721-पारे०अनु०-०४बी/पाट्टाकालि-2024/20/2009 टी०सी०-III

दिनांक: 11 दिसम्बर, 2024

समस्त निदेशक,
समस्त मुख्य अभियन्ता,
(पारेषण/जानपद),
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०,
लखनऊ/आगरा/मेरठ/झाँसी/गोरखपुर/प्रयागराज।

विषय- "उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966" के अन्तर्गत 06 माह के लिये हड़ताल निषिद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उ०प्र० शासन से प्राप्त अधिसूचना आदेश संख्या-866/24-पी-2-24-1(121)/04, दिनांक: 06 दिसम्बर, 2024 (संसलग्रक छायाप्रति संलग्र) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ०प्र० शासन ने "उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966" के अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र के अधीन समस्त सेवाओं में उक्त आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 माह की अवधि के लिये हड़ताल निषिद्ध की है।

अतः उपरोक्त संदर्भित आदेश की संलग्रकों सहित छायाप्रति संलग्रकर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(सत्यार्थ गंगवार)

उप सचिव (पारेषण-तृतीय)

संख्या: 721 (1)-पारे०अनु०-०४बी/पाट्टाकालि-2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अधिशासी अभियन्ता (सं०) निदेशक (ऑपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब-साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।

Satyarth

(सत्यार्थ गंगवार)

उप सचिव (पारेषण-तृतीय)

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाये एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- (1) अध्यक्ष 3000 पावर कारपोरेशन लि० लखनऊ।
- (2) अध्यक्ष निदेशक 3000 पावर कारपोरेशन लि० लखनऊ।
- (3) अध्यक्ष निदेशक 3000 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० लखनऊ।
- (4) अध्यक्ष निदेशक 3000 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० लखनऊ।
- (5) समस्त जिलाधिकारी 3000।
- (6) समस्त मण्डलायुक्त को इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीनस्थ जिलाधिकारियों को अपने स्तर से भी अवगत करावे व प्रेषित करें।
- (7) सूचना निदेशक 3000 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे आदेश को विशेष रूप से प्रकाशित कराने पर व्यवस्था करें।
- (8) विभाग संख्या-1।
- (9) लखनऊ स्विच 2211 कानपुर।
- (10) अध्यक्ष निदेशक कानपुर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाइ कम्पनी (केम्पे) कानपुर।
- (11) अध्यक्ष निदेशक मध्यप्रदेश विद्युत वितरण निगम लि० लखनऊ।
- (12) अध्यक्ष निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि० वाराणसी।
- (13) अध्यक्ष निदेशक पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि० मेरठ।
- (14) अध्यक्ष निदेशक उत्तरांचल विद्युत वितरण निगम लि० अजमेर।
- (15) ग्राहक अनुभाग-2 एवं ऊर्जा अनुभाग-1/3/ऊर्जा विजी निदेश प्रकोष्ठ।

(सं) कुतूब सिन्हा
संयुक्त सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Articles 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 866/24-P-2-2024-1(121)/04, Dated 06.12.2024

UTTAR PRADESH SHASAN
URJA ANUBHAG-2
No. 866/24-P-2-2024-1(121)/04
Lucknow Dated 06.12.2024

Notification

WHEREAS, the state Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient to do so.

Now THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P. Act no. XXX of 1966), the Governor, by Superseding the Previous Notification No.814/24-P-2-24, Dated 04.07.2024, is pleased to prohibit for a period of six months from the date of publication of this order in the Gazette, strikes in all services under the 1. Uttar Pradesh Power Corporation Limited, Lucknow, 2. Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Lucknow, 3. Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited, Lucknow, 4. Kanpur Electricity Supply Company (KESCO), 5. Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Lucknow, 6. Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Varanasi, 7. Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Meerut, 8. Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Agra, 9. UP Renewable & EV Infrastructure Ltd, Lucknow.

The Governor is further pleased to direct under sub-section (2) of the section 3 of the said Act that this order shall be published in the Gazette.

By Order,

SARVESH KUMAR SINGH
JOINT SECRETARY